



23711

प्रभाव 2280700  
2280730

पत्रांक : १८६० / ०५ / ७६ / एक / २०१४-१५  
सेवा में

दिनांक : ६०) अगस्त 2015

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभियान  
जनपद—महाराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दुड़ा) को अनुसृचित जाति वाहूल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय

अमिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बसियों में मूलभूत सुविधा योजना (एम्सीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अद्युक्त कर दी गयी है।

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० मे०)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
एचडीएफएसी० बैंक	19091450000036	IFSC Code HDFC0001909	13.123

(घनराशि लाख रु० मे०)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	दस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रतिष्ठित की गयी धनराशि (प्रथम छिप्त)
1	महराजगंज	एससीपी-83	न०१०३०५० महराजगंज	वार्ड नं० ०१ नेहरू नगर में पी०डब्ल्य०ड०० पिच रोड से श्री अनिल द्विवेदी के मकान होते हुये श्री मिथलेश के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.134
2	महराजगंज	एससीपी-83	न०१०३०५० महराजगंज	वार्ड नं० ०३ अर्घेडकर नगर में पिच रोड से गाड़न बब्लू अपटू इण्टरलाकिंग रोड के अन्त तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.989
	योग				13.123

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यरिक्त बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
  - स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
  - प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
  - अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य रारकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



23/2

दस्तावेज़ संख्या 2286710  
2286710

नव चौहानी क्रम्ब, 10 अरबोक मार्ग, लखनऊ 2260011

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5-- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाय्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6-- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7-- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आदश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8-- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9-- उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराया जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10-- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11-- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगाम के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कार्य करें।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।
3. कम्युटर रोल—सूडा।
4. लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक